22/12/17 — पत्रावली पेश। आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 CPC बाबत रेस्पो. स. 1/1 गिरधारी एवं आवेदन बाबत निरस्त किए जाने अबेटमेन्ट अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 CPC उभय पक्षों की बहस के पश्चात आदेश हेतु निर्धारित है।

अपीलान्टस ने अपने आवेदन O22R4 CPC में उल्लेख किया कि रेस्पो. नं. 1/1 गिरधारी का देहान्त दि. 9.12.2016 को हो चुका है तथा इस अपील में पैरवी अपीलांट सं. 1/3 बनवारी करता है तथा वह मर्डर के मुकदमे में दि. 13.12.16 से नीमकाथाना कारावास में बंद है। अत: वह पैरवी करने नहीं आ सका तथा अवधि के भीतर मृतक के कायम मुकामान का आवेदन पेश नहीं कर सका। अपीलांट के वकील ने अपीलान्टस को अपील में अ.क. हेतु समाचार भेजा जिस पर अपीलांट नं. 1/2 दि. 20.1.17 को आकर यह आवेदन पेश किया है। आगे उन्होंने यह उल्लेख किया कि अपीलांट देहाती अनपढ़ व्यक्ति है तथा कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते हैं और उन्हें अपील की तारीख पेशी की जानकारी नहीं थी। अत: अवधि भीतर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

आवेदन पत्र मेरे मजबूर रहे हैं।
इसमें जानबूझकर देरी नहीं की गई है
बल्कि उनकी मजबूरी की वजह से देरी
हुई है। अतः अपीलांट के हितों की
रक्षा के लिए एवं स्टेट्री निर्णय के
लिए अपीलांट को विवाद का फायदा
दिया जाना आवश्यक है जिसके लिए
धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन के
साथ शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट
के विरुद्ध अपील के अबेटमेन्ट को
न्याय एवं अपीलांटस के हितों के
लिए निरस्त किया जाना आवश्यक है
जिसके लिए आवेदन अन्तर्गत O 22
नियम 9 CPC शपथपत्र प्रस्तुत है।
पेश का आवेदन का
अतः आवेदन पेश का आवेदन
को स्वीकार करते, विवाद का फायदा
देने तथा उनकी अपील का अबेटमेन्ट
निरस्त फरमाने का निवेदन किया
इसके साथ ही आवेदन अन्तर्गत आदेश
22 नियम 9 CPC में विवाद आदेश कि
की धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत
का उल्लेख किया कि अपीलांट
का देहाती अनपढ़ व्यक्ति है जो कानूनी
पेचिदगियों को नहीं समझता है। अपीलांट
1/3 बकाया के कारावास में होने
की मजबूरी के कारण अवधि के भीतर
का रु का आवेदन पेश नहीं
किया जा सका। अतः न्यायहित में
अपीलांट के हितों की रक्षा के
लिए विवाद का फायदा दिया जाकर
अबेटमेन्ट को निरस्त किया जावे।
उक्त आवेदन पत्रों के प्रस्तुत होने
पर रेस्पो की ओर से जवाब
पेश किया। जवाब में उल्लेख
किया कि रेस्पो स. 1/1 का दिनांक
9.12.16 को देहान्त नहीं होकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

अपीलार्थी है जिनको रेस्पो. 1/1 को
बतौर रेस्पोडेन्ट फरीक होने तथा उसकी
द्वारा अपीलकर्ता रे. 1/3 द्वारा रिपोर्ट
की बखुबी जानकारी है। इनके बावजूद
समयावधि में मृतक रेस्पो. 1/1 के
वारिसान को नामजद कर रिकार्ड पर
लाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।
दिनांक 9/12/16 से दिनांक 20/6/17
के विलम्ब को संतोषप्रद रूप से
स्पष्ट नहीं किया गया है। आवेदन के
संलग्न शपथपत्र गलत आधार पर
प्रस्तुत किया गया है। रेस्पो. 1/3
के अलावा अन्य अपीलार्थी शिक्षित
व्यक्ति है जिनको पर्याप्त जागरूक होना
चाहिए तथा स्वयं को अपील की
समुचित कार्यवाही हेतु सूचना रखनी
चाहिए। धारा 5 में विलम्ब
को संतोषप्रद रूप से स्पष्ट करने
का आधार कारण नहीं माना जा
सकता। समय पर का मु की कार्यवाही
नहीं करने के कारण अपील स्वतः
अबेट हो चुकी है। अपीलकर्ता को
मियाद का फायदा दिया जाकर
एबेटमेन्ट को निरस्त करने का कोई
आधार नहीं है। आवेदन में 9.12.16
से दि 20.6.17 की अवधि को
कण्डोन करने का कारण प्रस्तुत आवेदन
में दर्ज आधार पर कारण क्षम्य
एव संतोषप्रद नहीं है अतः आवेदन
मय खर्चा खारिज किया जावे।
मियाद अधिनियम के आवेदन का जवाब
भी उन्हीं तथ्यों का उल्लेख करते
हुए देते हुए आवेदन खारिज कर
अपील खारिज करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भाषी/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने दौरान
बहस आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को
दोहराते हुए कथन किया कि अपील
में पैरवी अपीलार्थी 1/3 जनकारी करता है
तथा उसके कारावास में होने के कारण
का/मु की कार्यवाही समय पर नहीं की
जा सकी थी। आगे उन्होंने अपीलार्थी
को देहाती अनपढ़ व्यक्ति बताते हुए
मजबूरी में अवधि के भीतर का/मु.
की कार्यवाही नहीं कर पाने का तथ्य
जाहिर किया। उन्होंने AIR 2002
S.C 1201 की नजीर पेश करते हुए
बताया कि Section 5 एवं O22R9CPC
को तय करते समय न्यायालय को
Liberal Approach रखनी चाहिए
ताकि पक्षकारों को Substantial
Justice प्रदान किया जा सके।
न्यायालय को fault finding Tendency
नहीं रखते हुए इसे अपवाद के
रूप में लेना चाहिए न कि रूटीन
मैनर में। इससे न्याय निर्णयन
का उद्देश्य Defeat नहीं होना
चाहिए। इसी नजीर के Para 7
का उल्लेख करते हुए Section 5
बाबत न्यायालय को Liberal
Approach अपनाने बाबत ध्यान दिलाया
आगे उन्होंने न्यायालय को पक्षकारों
की गलती की सजा नहीं देते हुए
न्याय दिए जाने हेतु निवेदन किया।
उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में
उनको आवेदन O22 R4CPC
एवं O22 R9CPC एवं Secti
5 का आवेदन स्वीकार करने का
निवेदन किया।

दौरान बहस आवेदन
O22 R4CPC, O22R9CPC, Secti

1/3 बनकारी ने रामा।।। जिरधारी
की हत्या दिनांक 5.12.16 को हत्या
की है जिसकी जानकारी शेष अपीलांटगण को
कि उनके भाई है, बहन है, उनको थी
तथा वे शिक्षित है, उनके देहाती
अनपढ़ होने की जानकारी गलत रूप
से अपीलांटगण ने दी है। इसके बावजूद
समय पर कोई भी कार्यवाही नहीं
की गई। इस प्रकार इन्होंने Inaction
किया है। आगे उन्होंने बताया कि
दिनांक 9.12.16 से 20.6.17 तक
के विलम्ब को कन्डोन करने के
लिए संतोषप्रद कारण नहीं दिया है,
गलत तथ्य पेश कर परिसीमा
का आवेदन पेश किया है। अतः
को 2077 का 5 आवेदन निर्धारित अवधि
में पेश नहीं करने के कारण
अपील अवधिबाधित हो चुकी है।
तथा अवधि निरस्त करने हेतु
कोई Sufficiant Cause
एवं संतोषप्रद कारण नहीं
दिया है अतः अपील अवधिबाधित
हो चुकी है अपीलांट को
निरस्त कर उनका का 5
का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।
अपने पक्ष में उन्होंने
2017(3) DNJ 1054 राज.

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

उच्च न्यायालय की नजीर पेश करते
हुए बताया कि "A litigant should be vigilant and should keep himself informed about the proceedings." इसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब के शमन हेतु याचीगण को पर्याप्त कारण बताने चाहिए।

उक्त आधार पर उन्होंने अपीलांट के का.उ. के आवेदन, अबेटमेन्ट को निरस्त करने के आवेदन एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदनों को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण अपील को अबेट करने ही निरस्त करने का निवेदन किया। सम्पूर्ण अपील अबेट होने के बाबत AIR 1963 S.C 553 एवं AIR 1970 Calcutta 99 की नजीरें पेश की तथा बताया कि Decree संयुक्त है तथा सभी अपीलांट्स ने Declaration Relief चाही, की Common decree। अतः सम्पूर्ण अपील ही अबेट मानते हुए खारिज की जावे।

प्रार्थना पत्रों, प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। बहस आवेदन पर गौर किया गया। ध्यानपूर्वक प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया गया।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट जाहिर है कि अपीलार्थी 1/3 बनवारी ने रेस्पो. 1/1 गिरधारी के हत्या

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

तथ्य है कि शेष अपीलांटस अपीलांट
1/3 बनवारी के सगे भाई बहिन है
अतः उन्हें गिरधारी रेख्यो की डिक्री
की भी जानकारी नहीं हो, ऐसा
नहीं माना जा सकता है। इससे जाहिर
है कि अपीलांट को जानकारी होते
हुए भी निर्धारित अवधि में कोई
भी कार्यवाही नहीं कर 1 माह 16 दिन
के विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश
किया, जबकि 90 दिन पश्चात अपील का
Automatically अबेटमेन्ट हो जाता है।
इस प्रकार ~~प्रार्थी~~ / अपीलांट के स्तर
पर Negligence or Inaction किया
गया है।

AIR 2002 S.C 1201 की नजीर
जो अपीलांट प्रार्थी द्वारा पेश की
गई है, उसमें स्पष्ट जाहिर है कि
ऐसे आवेदन S.5, Limitation Act
एवं O22 R4 CPC, O22 R9 CPC
में न्यायालय को Liberal Approach
तभी अपनानी चाहिए जब पक्षकार
द्वारा कोई Negligence / Inaction
नहीं किया गया हो तथा Delay
तभी Condone किया जा सकता है
जबकि वह Bonafide हो।
प्रकरण में विलम्ब हेतु कारण
पक्षकारों का देहाती एवं अशिक्षित
होना एवं ~~शेष~~ अपीलांट 1/3
के कारावास में होने का बताया
गया है। जो कि संतोषप्रद नहीं
माना जा सकता है, चूंकि अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांटस भी थे जिन्हें रेस्पो के
मृत्यु की जानकारी थी किन्तु उनके
द्वारा कार्यवाही समय पर नहीं की
गयी, उनके अभिभावक द्वारा भी
इस हेतु समय पर कोई कार्यवाही
नहीं की गई जो अपीलांटस की
लापरवाही / अकर्मण्यता की श्रेणी
में आता है तथा Malafide
आचरण है। न्यायालय किसी भी
पक्षकार के प्रति उसकी सद्भावना
एवं Bonafide action के आधार
पर ही Liberal Approach अपनाते हैं।
विलम्ब क्षमा करने हेतु जो कारण
बताये हैं, वे संतोषप्रद एवं
प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए
मानने योग्य नहीं है। प्रकरण
में रेस्पो द्वारा प्रस्तुत कानूनी
नजीर 2017(3) DNJ(Raj)1054
राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्णित
तथ्य लागू होते हैं जिसमें बताया
गया है कि "A litigant should
be vigilant enough and should
keep him self informed
about the proceedings" अर्थात
मुवक्किल को पर्याप्त जागरूक रहना
चाहिए तथा स्वयं को कार्यवाहियों
के बारे में सूचना रखी जानी
चाहिए। यही नहीं Delay
condone हेतु भी पर्याप्त कारण
बताने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण
में Delay Condone हेतु जो
तथ्य जाहिर किये हैं, वे
संतोषप्रद नहीं माने जा सकते हैं।
अपीलांटस को मृत्यु की जानकारी

दूसरे अपीलार्थ का उ की कार्यवाही
कर सकते थे जबकि उन्हें रेस्पोंडेंट
की मृत्यु की जानकारी थी। इस बाबत
पक्षकारों की अशिक्षा के कारण इस
बाबत जानकारी नहीं होने के तथ्य
विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं।
इन परिस्थितियों में प्रार्थी अपीलार्थ
द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत
आदेश 22 नियम 4, एवं
आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम
9 सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम
को स्वीकृत करने का न्यायोचित
आधार नहीं होने के कारण
इन्हें खारिज किए जाते हैं।
इस प्रकार अपील अबेट हो
चुकी है। अपील अबेट होने बाबत
रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नजीरों AIR
1963 Suprem Cout 553 एवं
AIR 1970 Calcutta 99
के संदर्भ में अपील सम्पूर्ण
रूप से ही अबेट होना माना
जायेगा चूंकि सभी अपीलार्थ
का संयुक्त हित। अनुतोष निहित
है अतः Appeal in Toto
अबेट होगी न कि केवल मृतक
के हिस्से तक।
अतः इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य
में सम्पूर्ण अपील (Entire

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते * सीकर *	Appeal) अदेट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	/12/17 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	